



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19092024-257228  
CG-DL-E-19092024-257228

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3621]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 18, 2024/भाद्र 27, 1946

No. 3621]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 18, 2024/BHADRA 27, 1946

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2024

सं. 30 / 2024—25

विषय: आईटीसी (एचएस), 2022, अनुसूची-I (आयात नीति) के अध्याय 08 के आईटीसी (एचएस) 08028010 के तहत आयात नीतिगत शर्त में संशोधन।

**का.आ. 3960(अ).**— समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 और धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार दिनांक 03.07.2023 की अधिसूचना सं. 17/2023 में आंशिक संशोधन करते हुए एतद्वारा आईटीसी (एचएस), 2022, अनुसूची-I (आयात नीति) के अध्याय 08 के आईटीसी (एचएस) 0802 80 10 के तहत मदों की आयात नीतिगत शर्त (ग) (i) में निम्नानुसार संशोधन करती है: (संशोधन बड़े अक्षरों में दर्शाए गए हैं)

संशोधित नीतिगत शर्त

(ग) भूटान से न्यूनतम आयात मूल्य (एमआईपी) शर्त के बिना प्रति वर्ष 17,000 मीट्रिक टन ताजा (हरी) सुपारी के आयात की अनुमति दी जाएगी। ऐसे आयात की अनुमति:

- (i) केवल एलसीएस जयगांव (आईएनजेआईजीबी), एलसीएस चामुर्ची (आईएनसीएचएमबी) एलसीएस हतिसर (आईएनएचटी5बी) और एलसीएस दर्रागा (आईएनडीआरजीबी) के माध्यम से और,
- (ii) डीजीएफटी द्वारा वैध पत्तन-विशिष्ट पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने के अधीन होगी।

#### अधिसूचना का प्रभाव:

विद्यमान दो पत्तनों के अतिरिक्त, भूटान से न्यूनतम आयात मूल्य (एमआईपी) शर्त के बिना 17,000 मीट्रिक टन ताजा (हरी) सुपारी का आयात एलसीएस हतिसर (आईएनएचटी5बी) और एलसीएस दर्रागा (आईएनडीआरजीबी) के माध्यम से भी अनुमत होगा।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा. सं. 01/89/180/43/एएम-01/पीसी-2[ए]/भाग-III/ई-8258]

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

### MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 18th September, 2024

**No. 30 /2024-25**

**Subject: Amendment in Import Policy Condition under ITC (HS) 08028010 of Chapter 08 of ITC (HS) 2022, Schedule –I (Import Policy).**

**S.O. 3960(E).**— In exercise of powers conferred by Section 3 and Section 5 of Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy 2023, as amended from time to time, the Central Government in partial modification to Notification No. 17/2023 dated 03.07.2023, hereby amends the Import Policy Condition (c)(i) of items under ITC(HS) 0802 80 10 of Chapter 08 of ITC(HS), 2022, Schedule – I (Import Policy), as under : **(changes made are in bold letters)**

#### **Revised Policy Condition:**

(c) Import of 17,000 Metric Tonnes of Fresh (green) Areca Nut without Minimum Import Price (MIP) condition shall be allowed from Bhutan every year. Such imports are allowed:

i) through LCS Jaigaon (INJIGB), LCS Chamurchi(INCHMB), **LCS Hatisar(INHT5B) and LCS Darranga(INDRGB)** only, and,

ii) shall be subject to a valid port-specific Registration Certificate issued by DGFT.

#### **Effect of the Notification:**

In addition to the existing two ports, import of 17,000 Metric Tonnes of Fresh(green) Areca nut without Minimum Import Price (MIP) condition from Bhutan shall also be allowed through **LCS Hatisar(INHT5B) and LCS Darranga(INDRGB)**.

This issues with the approval of Minister of Commerce & Industry.

[F.No. 01/89/180/43/AM-01/PC-2[A]/Part-III/E-8258]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade & Ex- officio Addl. Secy.